खण्ड–28, अंक–01
सोमवार, 17 फाल्गुन, शक संवत्, 1931
(08 मार्च, 2010 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2010)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 28 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

विषय–सूची

विषय	संख्या पृष्ठ
उपस्थिति	'क'
वन्दे मातरम्	1
विधान सभा आने–जाने हेतु यातायात नियन्त्रण की समुचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में	1–2
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ...	2–35
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	35–36

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अनिल नौटियाल
3—श्रीमती अमृता रावत
4—श्रीमती आशा
5—श्री ओम गोपाल
6—श्री करन मेहरा
7—श्री किशोर उपाध्याय
8—श्री केदार सिंह फोनिया
9—श्री खजान दास
10—श्री खड़क सिंह बोहरा
11—श्री गगन सिंह
12—श्री गणेश जोशी
13—श्री गोपाल सिंह राणा
14—श्री गोपाल सिंह रावत
15—श्री गोविन्द लाल
16—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
17—श्री चन्दन राम दास
18—श्री जोगा राम टम्टा
19—श्री जोत सिंह गुनसोला
20—श्री तिलक राज बेहड़
21—श्री दिनेश अग्रवाल
22—श्री दिवाकर भट्‌ट
23—श्री दिवान सिंह
24—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
25—श्री प्रकाश पन्त
26—श्री प्रीतम सिंह
27—श्री प्रेमानन्द महाजन
28—श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
29—श्री बलवीर सिंह नेगी
30—श्री बिशन सिंह चुफाल
31—श्री बंशीधर भगत
32—श्री बृज मोहन कोटवाल
33—श्री शेर सिंह
34—श्री मदन कौशिक
35—श्री मनोज तिवारी
36—श्री मयूख सिंह
37—श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महूँ भाई''
38—श्री मातबर सिंह कण्डारी
39—श्री कुलदीप कुमार
40—श्री यशपाल आर्य
41—श्री यशपाल बेनाम
42—श्री रणजीत रावत
43—डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''
44—श्री राजकुमार
45—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
46—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
47—श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
48—श्रीमती वीना महराना
49—श्री शहजाद
50—श्री सुरेन्द्र राकेश
51—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
52—श्री सुरेश चन्द जैन
53—डा0 हरक सिंह रावत
54—श्री हरभजन सिंह चीमा
55—श्री हरिदास
56—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में अपराह्न 3:00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यवाही 'वन्दे मातरम्' से प्रारम्भ की जाती है।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थाान ग्रहण करें।

विधान सभा आने–जाने हेतु यातायात नियन्त्रण की समुचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में,

*श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आज विधान सभा में आने के लिए कहीं से भी रास्ता नहीं है चारों तरफ फोर्स लगी है लेकिन फोर्स यह बताने के लिए तैयार नहीं है कि विधान सभा के लिए कौन सा रास्ता जायेगा। जो मेन रास्ता है वह पूरी तरह से चोक है। पुलिस के सौ–सौ लोग खड़े हैं लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि यह रास्ता बन्द है, आपको घूम के जाना पड़ेगा। मान्यवर, फिर गाड़ी से पाँच किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस वाले मुंह बन्द कर लट्ठे लेकर खड़े हैं। वह कौन सी आपत्ति है

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या परेशानी है जो विधायकों को विधान सभा में आने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। (व्यवधान)

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, कई किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है। पुलिस वाले यह भी बताने को तैयार नहीं हैं कि यह रास्ता बन्द है और आप इस रास्ते से जायें। मान्यवर, यह व्यवस्था भी नहीं की गयी है कि विधान सभा को जाने के लिए कौन सा रास्ता है। पूरा–पूरा रास्ता बन्द कर दिया गया है। (व्यवधान)

*श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार रोड पूरी–पूरी तरह से चोक है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया इसको दिखवा लें।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, यहां ऐसे अनजान लोग लगा दिये गये हैं जो विधायकों को नहीं पहचान पा रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने जा रहे थे, वहां भी लोग विधायकों को पहचान नहीं रहे हैं और बाहर गेट पर भी नहीं पहचान रहे हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की बात का संज्ञान लिया जायेगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष–

"उत्तराखण्ड राज्य के माननीय विधान सभा अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा विधान सभा के माननीय सदस्यगण।................ (व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने अभिभाषण का पाठ जारी रखा।)

सर्वप्रथम राज्य के सभी सम्मानित नागरिकों का मैं अभिवादन करती हूँ तथा देश के भाल, देव भूमि उत्तराखण्ड को आदर्श राज्य बनाने के लिये सभी लोगों के सहयोग से कार्य करने के लिये सबका आभार व्यक्त करती हूँ।

एक नई कार्य संस्कृति के साथ विकास योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र के अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसके लिये टीम भावना से कार्य करना है। जनता की

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समस्याओं को मौके पर ही निराकरण करने की नीति के अधीन प्रशासनिक मशीनरी के सहयोग से विकास योजनाओं को तेज गति से अपनाने का संकल्प लिया गया है। ऐसे विषय जिनका निराकरण मौके पर सम्भव न हो, को एक समय सीमा के भीतर हल करते हुए जनता को राहत प्रदान की जा रही है।

(2) मेरी सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को देश का आदर्श राज्य बनाने के लिए 'विजन 2020' के अन्तर्गत राज्य में आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ाकर विकास दर में वृद्धि करने, रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने, राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन कर उसका युक्ति-युक्त उपयोग सतत् विकास के लिए करने व शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सड़क, बिजली आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं को जनसामान्य तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है जिससे प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके एवं पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रूके एवं जनसाधारण के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आ सके। इसी क्रम में राज्य स्थापना दिवस के सुअवसर पर 14 नयी विकास योजनाओं की घोषणा की गयी। ये योजनाएं क्रमशः उत्तराखण्ड हरित विकास योजना, मुख्यमंत्री जड़ी-बूटी योजना, चारा विकास एवं चारा बैंक योजना, मुख्यमंत्री वन पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना, शहरी अवस्थापना विकास योजना, मुख्यमंत्री निर्मल नगर पुरस्कार योजना, पं0 दीनदयाल पार्किंग योजना, मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना, मुख्यमंत्री सुदूर स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण योजना, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण संयोजकता योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उत्तराखण्ड शिल्प विकास योजना एवं मुख्यमंत्री युवा संचालित सामुदायिक केन्द्र योजना हैं। इन योजनाओं पर क्रियान्वयन आगामी वित्तीय वर्ष से आरम्भ किया जा रहा है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(3) [मेरी सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता से विधि सम्मत् कानून-व्यवस्था बनाये रखने, अपराधों की रोकथाम, अपराधों का शीघ्र अनावरण करने तथा आंतरिक सुरक्षा की सुखद स्थिति बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार द्वारा पुलिस बल को सुदृढ़ करने के बहुआयामी प्रयास किये गये हैं। अपराधियों एवं अपराधों पर नियंत्रण रखने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता बनाये रखने में मेरी सरकार सफल रही है।

मेरी सरकार द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु ठोस कदम उठाये गये हैं। आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। राज्य की अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरन्तर चौकसी बरती जा रही है। राज्य के भीतर स्थित राज्य सरकार एवं भारत सरकार के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा करते हुए इसे अपेक्षाकृत सुदृढ़ किया गया है। जघन्य एवं शातिर अपराधियों तथा माफिया तत्वों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जिला स्तर पर विशेष

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्यवाही बल (एस0ओ0जी0) तथा राज्य स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स (एस0टी0एफ0) गठित है। स्पेशल टास्क फोर्स को और अधिक प्रभावी व सक्षम बनाये जाने हेतु इस वर्ष नये पद स्वीकृत किये गये हैं। इस प्रकार अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं सहित राज्य में आपराधिक एवं अवांछनीय गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयासों से कानून–व्यवस्था की स्थिति अपेक्षाकृत सुदृढ़ हुई है।

वर्तमान में देश में आतंकवादी घटनाओं एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों की बढ़ती हुई सक्रियता की आशंका के दृष्टिगत अभिसूचना विभाग का महत्व स्वीकार करते हुए मेरी सरकार द्वारा इसे भी सुदृढ़ किये जाने के लिए राज्य की 13 बड़ी तहसीलों में अभिसूचना शाखाओं की स्थापना की गयी है तथा अभिसूचना विभाग के कार्मिकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। साथ ही आतंकवाद निरोधी दस्ता भी गठित किया जाना प्रस्तावित है ताकि आतंकवाद से सम्बन्धित गतिविधियों पर नजदीकी नजर रखी जा सके।

मेरी सरकार द्वारा पुलिस व्यवस्था के समक्ष उभरती हुई चुनौतियों, पुलिस की भूमिका, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों तथा सुशासन एवं मानवाधिकारों की रक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल को और अधिक दक्ष, प्रभावी तथा जनता के प्रति जवाबदेह बनाये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 के प्राविधानों के अनुसार जनसहभागिता एवं जनजागरण के उद्देश्य से सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था को लागू किया गया है। पुलिस दूर संचार व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया गया है। अग्निशमन विभाग के अन्तर्गत यथा–आवश्यकता फायर स्टेशनों का निर्माण तथा भारत सरकार के सहयोग से फायर स्टेशनों को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है।

आपराधिक मामलों की प्रभावी पैरवी एवं शीघ्र न्याय दिये जाने हेतु अभियोजन विभाग को सुदृढ़ व संसाधनयुक्त किया जा रहा है तथा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा के स्वयं–सेवकों की भी प्रभावी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर उन्हें अपेक्षाकृत सक्षम बनाया जा रहा है।

मेरी सरकार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों की समस्त परेशानियों के निराकरण के लिए सतत् प्रयत्नशील है। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान सात दिन अथवा इससे अधिक जेल में रहने वाले एवं ऐसे घायल आन्दोलनकारी, जो किसी कारणवश सेवायोजित नहीं हो पाये, को मेरी सरकार द्वारा रू0 3000 प्रतिमाह की दर से पेन्शन स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं इस क्रम में 263 आन्दोलनकारियों का चिन्हीकरण हो चुका है। राज्य आन्दोलन के दौरान सी0बी0आई0 के मुकदमों से आच्छादित आन्दोलनकारियों को भी मेरी सरकार द्वारा लाभान्वित किया गया है जिसके अन्तर्गत रू0 पचास हजार से रू0 एक लाख तक की अनुग्रह धनराशि एकमुश्त प्रदान की गई है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरूद्ध आन्दोलनकारियों को रू0 पांच हजार प्रतिमाह की दर से पेन्शन स्वीकृत की गई है।

(4) मेरी सरकार ने खरीफ फसल के लिए खाद्यान्न एवं तिलहन के उत्पादन का लक्ष्य नियत किया है। इसी प्रकार गेहूँ के बीज वितरण का लक्ष्य भी बढ़ाकर नियत किया गया। इस वर्ष बीज ग्राम योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसमें मैदानी एवं पर्वतीय दोनों भागों के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर बेहतर बीजों की आपूर्ति की जाएगी।

राज्य में जैविक खेती की योजना संचालित की जा रही है, जैविक खेती के विस्तार के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन तीन वर्षीय जैविक विजन की योजना मंजूर कराई गयी है।

मेरी सरकार द्वारा कृषि तथा सम्बद्ध विभागों में अपेक्षित विकास तथा उन्हें एक मंच पर लाकर कृषकों की समस्याओं का निस्तारण, विभागीय सुविधायें एवं जानकारी सम्यक् रूप से उपलब्ध कराने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर रबी एवं खरीफ में दस दिवसीय कृषक महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में लगभग एक लाख तीस हजार किसान सीधे लाभान्वित हुए हैं।

मेरी सरकार द्वारा शुरू की गयी अटल आदर्श ग्राम योजना के अधीन न्याय पंचायत स्तर पर आधारभूत सुविधाओं तथा जानकारी को मजबूत करने की दिशा में चयनित न्याय पंचायत मुख्यालयों में कृषि निवेश केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया है। आगामी वर्षो में हर न्याय पंचायत में कृषि निवेश केन्द्र का भवन बनाये जाने की योजना है।

मेरी सरकार द्वारा परम्परागत स्थानीय फसलों को क्लस्टर के रूप में जैविक कृषि से जोड़ते हुए फसलों के क्षेत्रफल विस्तार, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा विपणन हेतु यथोचित प्रयास प्रारम्भ किया गया है तथा इस हेतु लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

पर्वतीय क्षेत्र में फसलें मुख्यतः वर्षा पर आधारित हैं। अतः मेरी सरकार ने जहां बारानी योजनान्तर्गत लगभग दो सौ सूक्ष्म जल समेट क्षेत्र में जलागम प्रबन्धन पद्धति आधारित विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया है, वहीं जल संरक्षण एवं जल सम्भरण को विशेष प्राथमिकता दी गयी है और कृषि में श्रम एवं लागत में कमी लाने के उद्देश्य से कृषि यंत्रीकरण योजना को अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मेरी सरकार द्वारा सीमित कृषि क्षेत्र को देखते हुए फसल सघनता बढ़ाने के साथ जायद में भी दहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने एवं परती भूमि को भी दहलनी, तिलहनी एवं मक्का फसलों आदि के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जायेगा।

मेरी सरकार के फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ में धान, मडुवा, आलू एवं अदरक तथा रबी में गेहूँ की फसल को अधिसूचित किया गया है। गत रबी में सूखे की स्थित के कारण कृषकों को मेरी सरकार द्वारा दावे के रूप में धनराशि वितरित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

चावल के क्षेत्र में राज्य "देहरादूनी बासमती" के रूप में प्रसिद्ध है। देहरादून नगर के आस–पास के क्षेत्र का शहरीकरण हो जाने से जिले के अन्य क्षेत्रों में तथा राज्य के हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर एवं नैनीताल में देहरादूनी बासमती के क्षेत्रफल में अपेक्षित वृद्धि की गयी है।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में खाद्यान्न फसलों में उत्पादन व उत्पादकता वृद्धि सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य खाद्य सुरक्षा योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

मेरी सरकार कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के माध्यम से कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना, कृषि उत्पादक अति सहायक योजना, सम्पर्क मार्ग निर्माण, शासकीय प्राथमिक विद्यालय को गोद लेने की योजना तथा बखारी वितरण योजना का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है।

मेरी सरकार द्वारा पर्वतीय, भावर एवं तराई क्षेत्रों में उत्पादित की जाने वाली लगभग 47 फसलों की 200 अधिसूचित प्रजातियों के बीजों का प्रमाणीकरण किया जा रहा है तथा आई0एस0ओ0 9001:2000 गुणवत्ता प्रणाली के अनुरूप बीज प्रमाणीकरण के अन्तर्गत लगभग पिचासी हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल का पंजीयन एवं निरीक्षण किया गया। कोर वैली परियोजना के अन्तर्गत राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम पर्वतीय जिलों में बीज प्रमाणीकरण कार्य का सम्पादन किया गया। प्रत्येक वर्ष सोलह हजार पंजीकृत कृषकों द्वारा उत्पादित 26 से 28 लाख कुन्तल बीज मात्रा का प्रमाणीकरण किये जाने का लक्ष्य है। प्रमाणित बीज उत्पादन से टैगिंग, विधायन, पैकिंग एवं परिवहन के क्षेत्र में लगभग प्रतिवर्ष 2 लाख कार्य दिवसों का सृजन होता है।

(5) मेरी सरकार द्वारा गन्ना कृषकों को गन्ने का देश में उच्चतम लाभकारी मूल्य दिया गया। गन्ने के उत्पादन में वृद्धि एवं चीनी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार गन्ना उपलब्ध कराने की दृष्टि से गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा विकसित उन्नतशील गन्ना प्रजातियों के साथ–साथ राज्य के बाहर से भी राज्य की जलवायु एवं मृदा के अनुकूल प्रजातियों को कृषकों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

(6) मेरी सरकार द्वारा 670 न्याय पंचायत मुख्यालय ग्रामों में "अटल आदर्श ग्राम योजना" राज्य स्थापना दिवस 09 नवम्बर, 2009 के प्रारम्भ की गयी है, जिसका उद्देश्य इन न्याय पंचायत मुख्यालयों को अवस्थापना सुविधाओं, विशेषतः पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई तथा आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित कर ग्रामीण क्षेत्र का समग्र एवं संतुलित विकास करना है। इन चिन्हित ग्रामों के माध्यम से न्याय पंचायत के निकटवर्ती ग्रामों को भी अवस्थापना एवं शासकीय सेवाओं का लाभ मिलेगा तथा यह ग्रामीण विकास केन्द्र के रूप में अभिज्ञानित होंगे। वर्ष 2010–11 तक अवस्थापना सुविधाओं से इन ग्रामों को संतृप्त किया जा सकेगा। कतिपय चिन्हित ग्रामों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास

की पहल भी की जा चुकी है। इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्र के समेकित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत रोजगार दिये जाने व ग्रामीण आवास हेतु इन्दिरा आवास योजना एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण संयोजकता के कार्यक्रमों को मेरी सरकार सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार दीन दयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना तथा राज्य ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना संचालित कर रही है।

मेरी सरकार वाह्य सहायतित परियोजना ''हिमालयी आजीविका सुधार'' परियोजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में विशेषकर महिलाओं के कार्यबोझ में कमी लाने हेतु उन्नत चारा घासों का रोपण एवं आधुनिक कृषि यन्त्रों आदि के उपयोग की जानकारी प्रदर्शन के माध्यम से दे रही है।

मेरी सरकार द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना वर्तमान में सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग नौ लाख परिवारों को जॉब कार्ड वितरित करते हुए लगभग तीन लाख श्रमिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस योजना के क्रियान्वयन को और व्यापक करने एवं आर्थिक परिसम्पत्तियों के सृजन एवं जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्यान, वन, रेशम, पंचायती राज आदि विभागों के साथ अब तक रू0 43.37 करोड़ का केन्द्राभिसरण एवं युगपतिकरण किया जा रहा है जिसे आगे और बढ़ाया जायेगा।

मेरी सरकार ने ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग छः हजार आवासीय इकाईयों का निर्माण/उच्चीकरण इन्दिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण आवास योजना तथा ऋण सह अनुदान योजना के अन्तर्गत किया है।

(7) मेरी सरकार ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के माध्यम से पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग, बार्डर एरिया, दैवी आपदा, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, विधायक निधि और प्रान्तीय रक्षक दल के निर्माण कार्यो/योजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित करा रही है।

(8) मेरी सरकार ने उद्यानिक निवेशों के वितरण हेतु लगभग एक हजार सात सौ उद्यान कार्डो का वितरण किया है। राजकीय प्रक्षेत्रों में विभिन्न फल प्रजातियों के लगभग चार लाख फल पौधों का उत्पादन कर उन्हें कृषकों को उपलब्ध कराया गया। राजकीय उद्यानों में लगभग सत्रह कुन्तल उन्नत किस्म के सब्जी बीजों का उत्पादन किया गया तथा कृषकों को उपलब्ध कराया गया। मशरूम उत्पादन हेतु लगभग सत्तर मैट्रिक टन

पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट तथा लगभग अस्सी किलोग्राम स्पान का उत्पादन कर वितरण कराया गया।

उत्तराखण्ड को–आपरेटिव रेशम फेडरेशन को सक्रिय करते हुए इस संस्था हेतु रिवाल्विंग फंड की व्यवस्था मेरी सरकार ने की है तथा इन रेशमोत्पादों के मूल्य सम्वर्धन, विपणन आदि गतिविधियों के विकास हेतु सिल्क पार्क की स्थापना की गई है। मेरी सरकार ने देहरादून में सिल्क पार्क का निर्माण कर उसे संचालित करना प्रारम्भ कर दिया है।

मेरी सरकार ने शहतूती रेशम कोया उत्पादन में वृद्धि हेतु फेडरेशन के अधीन कार्यरत प्राथमिक रेशम सहकारी समितियों तथा स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया है।

मेरी सरकार लगभग छः सौ हैक्टेयर में चाय बागान स्थापित कर रख–रखाव कर रही है। चाय रोपण करने हेतु आधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना भवाली, जिला नैनीताल में स्थापित की गई है। जिला बागेश्वर के कौसानी में संयुक्त रूप से, जिला चमोली के भटोली एवं चम्पावत में निजी क्षेत्र में तथा घोड़ाखाल/श्यामखेत, जिला नैनीताल में चाय बोर्ड द्वारा स्वयं की चाय प्रसंस्करण फैक्ट्री स्थापित कर चाय उत्पादित कर विक्रय की जा रही है।

मेरी सरकार जड़ी–बूटी की निकासी को सरलीकृत किये जाने हेतु पंजीकृत काश्तकारों द्वारा उत्पादित जड़ी–बूटी की निकासी, जड़ी–बूटी संस्थान के माध्यम से प्रदान कर रही है।

मेरी सरकार कृषिकरण से प्राप्त सुगंध पादपों के विपणन में कृषकों को तत्काल भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु रिवाल्विंग फंड की योजनाओं को प्रभावकारी रूप से क्रियान्वित कर रही है।

राज्य में पुष्प विकास की असीम सम्भावनाएँ हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पहल कर लगभग 1100 हैक्टेयर में पुष्पों की खेती की जा रही है। जिस पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा पोषित योजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा समतुल्य धनराशि देने की व्यवस्था है। पुष्प एक शीघ्र खराब होने वाली फसल है, इसको देखते हुए समय से बाजार उपलब्ध होने हेतु पुष्प उत्पादकों के सुझाव/विचार अनुसार परिवहन विभाग से वार्ता कर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

(9) कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय उत्तराखण्ड राज्य के लोगों का परम्परागत व्यवसाय होने के साथ–साथ आजीविका का मुख्य साधन है। मेरी सरकार इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि राज्य में गत पशुगणना अनुसार पशु सम्पदा विकास इस दृष्टि से किया जाय कि उनकी उत्पादक क्षमता में अभिवृद्धि हो।

राज्य के बहुमूल्य पशुधन की अठारहवीं पशुगणना का राष्ट्रीय कार्यक्रम सम्पन्न करवाया गया तथा अन्तिम अनुमोदनार्थ आंकड़े भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं।

पशुपालकों के पशुओं के संवर्द्धन एवं विकास हेतु वर्तमान में चालू योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों (चिकित्सा, टीकाकरण, बधियाकरण, सामूहिक दवापान, कृत्रिम गर्भाधान, बांझपन निवारण) के माध्यम से लगभग 28 लाख पशुओं का चिकित्सीय उपचार प्रदान कराने का लक्ष्य रखा गया है। गत वर्ष भी इन कार्यक्रमों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

मेरी सरकार द्वारा कृषक महोत्सव के माध्यम से राज्य की समस्त न्याय पंचायतों में पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, चूजा/चारा बीज, फीड ब्लाक/चाटन भेली आदि का वितरण तथा तत्काल रोग निदान हेतु मल एवं रक्त परीक्षण कर पशुपालन को लाभ पहुँचाते हुए कार्यक्रम की समग्र जानकारी प्रदान की गई है।

गौमूत्र के औषधीय गुणों की उपयोगिता के लिए राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, कालसी में गौमूत्र अर्क निर्माण हेतु गौमूत्र संयंत्र स्थापित किया गया तथा दिव्य योग फार्मेसी, हरिद्वार को 34 हजार लीटर गौमूत्र अर्क के विक्रय से लगभग नौ लाख रूपये की आय प्राप्त की है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के पशु–पालकों को भी सीधे लाभ दिलाने की योजना है।

पशुपालकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कुक्कुट पालन को व्यवसाय से जोड़ने हेतु 6,274 कुक्कुट पालन इकाईयों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

बकरी पालकों की बकरियों की नस्ल सुधार हेतु उन्हें दारिन्दा पद्धति पर तीस निःशुल्क बकरा सांड उपलब्ध कराये गये।

तीव्रवृद्धि एवं रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले बटेर पक्षी तथा कम कोलेस्ट्राल, अधिक एमिनो एसिड्स गुणों वाले कड़कनाथ कुक्कुट पक्षी को उद्यमशील आय सृजनात्मक गतिविधि के रूप में प्रोत्साहित करने हेतु यूनिट स्थापित की गई है। बटेर पालन इकाई हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पर्याप्त धनराशि अवमुक्त की गई है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 के लिए अंगोरा खरगोश योजना, बरबरी बकरी योजना एवं कालसी प्रक्षेत्र हेतु भी धनराशि स्वीकृत की है।

मेरी सरकार ने राज्य के विभिन्न जलस्रोतों, नदियों, झीलों, जलाशयों एवं तालाबों से लगभग 3,163 टन मत्स्य उत्पादन प्राप्त किया है। मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा काशीपुर हैचरी एवं विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों से वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग साढ़े तीन करोड़ मत्स्य बीज उत्पादित किया गया। निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन हेतु लगभग ड़ेढ करोड़ मत्स्य बीज वितरित किया गया। राज्य की मत्स्य बीज की मांग को पूरा करने के साथ–साथ अन्य राज्यों को भी लगभग नौ लाख मत्स्य बीज उपलब्ध

कराया गया है। विभिन्न जलक्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन एवं मत्स्य संरक्षण हेतु लगभग तीन सौ लाख मत्स्य बीज संचित किया गया है। मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के उत्थान के लिए आवासीय सुविधा के साथ–साथ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है।

मेरी सरकार द्वारा राज्य में अब तक 3,149 दुग्ध सहकारी समितियाँ गठित की जा चुकी हैं, जिनसे लगभग सवा लाख दुग्ध उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रही हैं। दुग्ध समितियों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग सवा लाख लीटर दूध संग्रह किया जा रहा है, जिसके सापेक्ष लगभग 4.75 करोड़ रूपये प्रतिमाह का, दूध मूल्य भुगतान दुग्ध उत्पादकों को दिया जा रहा है। विभिन्न दुग्ध संघों के माध्यम से लगभग डेढ़ लाख लीटर प्रतिदिन दूध विक्रय किया जा रहा है।

मेरी सरकार बड़ी डेरी योजनाओं का विस्तार कर राज्य के सभी जिलों में गठित दुग्ध सहकारी समितियों के अधिक से अधिक सदस्यों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रही है। वर्ष पर्यन्त पौष्टिक चारे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दुग्ध उत्पादकों हेतु कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक की उचित दर पर आपूर्ति सुनिश्चित करने और दुग्ध उत्पादकों को अधिक दूध मूल्य उपलब्ध कराने हेतु दूध एवं दुग्ध पदार्थों का विविधीकरण तथा मूल्य संवर्द्धन हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(10) मेरी सरकार द्वारा प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से ऋण वितरण, खाद वितरण, उन्नतशील बीज वितरण, कीटनाशक रसायन व दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय जनता को उपलब्ध कराई जा रही है।

वाह्य सहायतित एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत मेरी सरकार ने परियोजनायें संचालित की हैं तथा चालू वर्ष में ऊधमसिंहनगर, बागेश्वर, रूद्रप्रयाग, चम्पावत में परियोजना क्रियान्वयन कर सहकारिता आन्दोलन को गति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य में कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु कृषकों को फसली ऋण एवं कृषि निवेशों को उपलब्ध कराने में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

(11) मेरी सरकार द्वारा वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित जलागम प्रबन्धन अवधारणा की योजनायें चलाई जा रही हैं। इन सभी जलागम प्रबन्ध योजनाओं का मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों यथा–भूमि, जल एवं वनस्पति का संवर्धन, संरक्षण एवं सुनियोजित प्रबन्धन करना है। इसके साथ–साथ भूमि एवं जल संसाधनों की उत्पादकता एवं जल के स्रोतों के संग्रहण पर भी मेरी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित जलागम आधारित योजनाओं के समग्र प्रभाव सुनिश्चित किये जाने हेतु भारत सरकार के जलागम विकास योजनाओं के 'समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008' के अनुसार जलागम प्रबन्ध निदेशालय को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। इस नोडल एजेन्सी द्वारा राज्य के 1932 वर्ग

कि.मी. अनउपचारित जलागम क्षेत्रों के उपचार हेतु 2742 करोड़ की 18 वर्षीय योजना भारत सरकार को प्रेषित की गई है। जिसके अन्तर्गत 11 वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि हेतु 626 करोड़ रूपये की सैद्धान्तिक सहमति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इसके कार्यान्वयन हेतु जिला इकाईयों का गठन किया जा रहा है।

(12) मेरी सरकार ने रोजगारपरक वृक्षारोपण योजनाओं जैसे बांस एवं रिंगाल, च्यूरा, थुनेर एवं अन्य औषधीय प्रजातियों का वृक्षारोपण कर वृक्षारोपण के साथ–साथ रोजगार के अवसर बढाये जाने की दिशा में ठोस कार्यवाही की है तथा वानिकी क्षेत्र में संयुक्त वन प्रबन्धन एवं वन पंचायतों के माध्यम से जन सहमति सुनिश्चित की गयी है।

मेरी सरकार द्वारा दुर्गम वन क्षेत्रों में कार्यरत वन कर्मियों के परिवारों को उचित सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण में हल्द्वानी में फौरेस्ट लाईन निर्मित की गयी है तथा कालसी (देहरादून), रामनगर, उत्तरकाशी तथा कोटद्वार में पुलिस लाईन की भाँति फौरेस्ट लाईन बनाना प्रस्तावित है।

मेरी सरकार द्वारा नई वृक्षारोपण नीति के अन्तर्गत वृक्षारोपण को रोजगार एवं जनता से जोड़ा गया है तथा आयपरक वृक्ष प्रजातियों के रोपण, जल एवं मृदा संरक्षण तथा सूख रहे जल स्रोतों का संरक्षण कार्य किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने पर्यटकों को राज्य के इको टूरिज्म की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में स्थित वन विश्राम गृहों में वैकल्पिक ऊर्जा एवं प्राथमिक चिकित्सा हेतु दवाइयों की व्यवस्था हेतु योजना क्रियान्वित की है।

विश्व प्रसिद्ध कार्बेट पार्क विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व के रूप में उभर कर आया है। मेरी सरकार ने इस दिशा में सार्थक पहल की है। इसी प्रकार राज्य में हाथियों का लिंग अनुपात देश में सर्वोत्तम है जो कि वन्य जीव संरक्षण एवं एक अच्छे इको सिस्टम का द्योतक है।

मेरी सरकार राज्य में पर्यावरण के सुधार एवं वृक्षारोपण के सघनीकरण हेतु हरित उत्तराखण्ड योजना तथा वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण हेतु मुख्यमंत्री वन पंचायत सुदृढ़ीकरण योजना प्रारंभ कर रही है, जिसका वित्त पोषण कैम्पा फंड से किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार के प्रयास से कैम्पा फण्ड से राज्य को प्रथम किस्त के रूप में रु0 80 करोड़ अवमुक्त हो चुकें हैं। राज्य कैम्पा योजना, उत्तराखण्ड में जनसहभागिता के माध्यम से वनों का प्रबन्धन व वृद्धि में अनोखी व ठोस पहल होगी। प्रत्येक जनपद में जैव विविधता केन्द्र/हर्बल गार्डन की स्थापना, जनपद मुख्यालयों में हरित पट्टी की स्थापना करना, महिला व युवा वर्गों के माध्यम से स्पर्श गंगा तथा प्लास्टिक निस्तारण, मानव वन्य जीव संघर्ष को सीमित करना, पारिस्थितिकीय पर्यटन, इस राज्य कैम्पा योजना के उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में अनोखा कार्य होगा। राज्य कैम्पा वानिकी परियोजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप रोजगार सृजन के साथ–साथ स्थानीय समुदाय के सशक्तीकरण व आर्थिक लाभ की अपार सम्भावना है।

देहरादून शहर को हरित शहर के रूप में विकसित करने हेतु मेरी सरकार द्वारा राज्य सेक्टर योजना एवं राज्य कैम्पा योजना लागू की जा रही है जिसका उद्देश्य देहरादून के चारों और हरित पट्टी बनाते हुए शुद्ध वातावरण को बढ़ावा देना है। इस अभियान में वरिष्ठ नागरिकों, स्कूली बच्चों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामरिक एवं गैर सामरिक बलों तथा देहरादून में स्थित अन्य एजेन्सियों की सहायता प्राप्त की जाएगी।

चीड़ के वनों से निकलने वाली चीड़ की पत्तियाँ एवं पिरूल (पाइन निडल) चीड़ वनों में अग्नि दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। मेरी सरकार पिरूल का व्यवसायिक उपयोग कर ब्रिकेट, गैसीफायर इत्यादि के निर्माण की दिशा में कदम उठाएगी ताकि वनों में अग्नि दुर्घटनाओं पर रोकथाम हो सके और साथ ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार एवं आमदनी के साधनों में वृद्धि हो।

राज्य को पॉलिथीन मुक्त करने के अभियान में मेरी सरकार उत्तराखण्ड पर्यावरण सरंक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ–साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से सार्थक कार्य कर रही है। राज्य में पॉलिथीन को अधिक सक्रिय रूप से प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम शीघ्र लाने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(13) मेरी सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष में लगभग चार लाख छब्बीस हजार चार सौ अठारह हैक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया। पर्वतीय क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए लघु सिंचाई विभाग द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में पूर्व में निर्मित क्षतिग्रस्त गूल, हाईड्रम, योजनाओं की मरम्मत एवं पुनरोद्धार हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में पर्याप्त धनराशि रखी जानी प्रस्तावित है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अनुसार जल संरक्षण/सम्वर्द्धन हेतु जलाशयों का निर्माण, पर्वतीय क्षेत्र में मिनी नलकूप की स्थापना, चाल–खाल आदि का पुनरोद्धार एवं मैदानी क्षेत्र में रिचार्ज साफ्ट, डीजल पम्पसैट एवं मध्यम एवं गहरे नलकूपों आदि का निर्माण प्रस्तावित है, जिसका स्थानीय स्तर पर परीक्षण एवं सर्वेक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा प्रति पांच वर्ष के अन्तराल पर लघु सिंचाई कार्यो की संगणना का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

मेरी सरकार द्वारा ऋषिकेश में मैरीन ड्राइव का निर्माण कराया गया है। सरीता ताल नैनीताल तथा बैजनाथ झील का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। चम्पावत में गन्डकी झील का निर्माण, रूद्रपुर झील निर्माण कार्य तथा स्प्रिंकलर कार्य चौखुटिया जिला अल्मोड़ा, कैंचीवाला देहरादून तथा जवाड़ी भरदार रूद्रप्रयाग में प्रारम्भ किया गया है।

मेरी सरकार द्वारा प्रथम बार पर्वतीय क्षेत्र में क्वानू चकराता में दो मिनी नलकूप तथा अमेल बेतालघाट, जिला नैनीताल में एक नलकूप का निर्माण कराया गया है। गढ़वाल मण्डल तथा कुमाऊँ मण्डल के पर्वतीय क्षेत्र में क्रमशः पन्द्रह एवं दस मिनी नलकूप प्रस्तावित है। सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में लगभग पाँच सौ जलाशय, जल संरक्षण हेतु बनाने की योजना है।

मेरी सरकार उत्तराखण्ड में नदियों एवं नालों की बाढ़ से कृषि भूमि के कटाव एवं आबादी के बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को भी पर्याप्त महत्व दे रही है।

जमरानी बाँध की पुनरीक्षित डी0पी0आर0 पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गयी टिप्पणियों के निराकरण की कार्यवाही गतिमान है। सौंग नदी बहुउद्देशीय बाँध निर्माण हेतु परियोजना के विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य पूर्ण कराकर इसकी डी0पी0आर0 तैयार कर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से अनापत्ति प्राप्त की गयी है। इस योजना के क्रियान्वयन से सिंचाई संसाधनों में वृद्धि के साथ–साथ देहरादून में 2051 ई0 तक की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी तथा विद्युत उत्पादन व पर्यटन विकास सम्बन्धी अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे।

उक्त के अतिरिक्त मेरी सरकार निम्न योजनाओं पर भी कार्यवाही कर रही है:–

- पर्यटन के दृष्टिकोण से सिंचाई विभाग को विश्राम गृहों को सुसज्जित कर पर्यटकों के उपयोगार्थ तैयार करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे विश्राम गृहों के समुचित रख–रखाव के साथ ही राजस्व में भी वृद्धि हो सकेगी।
- छोटी–छोटी नदियों एवं गाड़–गदेरों को जोड़कर छोटे जलाशय बनाये जाने प्रस्तावित हैं, जिससे भू–जल स्तर में हो रही गिरावट को न्यूनाधिक मात्रा में रोका जा सके।
- ड्रिप माइक्रो स्प्रिंकलर योजनाओं को प्राथमिकता दी गयी है।
- पर्वतीय क्षेत्रों की भौगौलिक विषम परिस्थितियों को देखते हुये लाभ–लागत अनुपात में शिथिलता पर विचार किया जा रहा है।
- सिंचाई योजनाओं को बहुउद्देशीय बनाने पर बल दिया जा रहा है जिससे सिंचाई, बिजली, पर्यटक स्थलों का विकास, मत्स्य पालन एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा सके।
- सिंचाई हेतु निर्मित जलाशयों में नौका विहार, मत्स्य पालन एवं सिंचाई विभाग की भूमि से पार्किंग शुल्क आदि लेकर राजस्व में वृद्धि करने पर बल दिया जा रहा है।

(14) राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान है। इस दिशा में ऊर्जा विभाग के तीनों निगम (यू0पी0सी0एल0,यू0जे0वी0एन0एल0 व पिटकुल) एवं उरेडा कार्यरत हैं। राज्य में लगभग 3,143 मेगावाट क्षमता की चिन्हित परियोजनायें स्थापित की जा चुकी हैं तथा लगभग 14,820 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का विकास एवं निर्माण किया जा रहा है।

मेरी सरकार पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखते हुए राज्य में अधिक से अधिक जल विद्युत के उत्पादन का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में 25 मे0वा0 तक की क्षमता वाली लगभग 975 मे0वा0 की विद्युत परियोजनाओं का आवंटन निजी क्षेत्र में किया जा चुका है तथा प्रयास किये जा रहे हैं कि शीघ्र ही 1000 मे0वा0 से अधिक की परियोजनायें निकट भविष्य में निजी क्षेत्र को आवंटित की जायें।

एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित 04 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिये निजी भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा वन विभाग की स्वीकृति के पश्चात् वन भूमि की लीज़ की कार्यवाही की जा रही है।

इस वित्तीय वर्ष में निजी क्षेत्र की अगुण्डा थाती (03 मेगावाट), भिलंगना (22.4 मेगावाट) तथा बनाला परियोजना (15 मेगावाट) उत्पादनरत हो गयी हैं तथा इनसे उत्पादित सम्पूर्ण बिजली उत्तराखण्ड राज्य को प्राप्त हो रही है। आगामी वित्तीय वर्ष में निजी क्षेत्र में बदियार (4.9 मेगावाट), गंगनी (08 मेगावाट), भिलंगना–III (24 मेगावाट), मोतीघाट (05 मेगावाट) तथा तांगा (05 मेगावाट) में उत्पादन कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाये जाने हेतु सभी निजी विकासकर्ताओं से अतिरिक्त बिजली, निर्धारित दरों पर प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

भारत नेपाल की सीमा पर स्थित पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना हेतु भारत सरकार के स्तर पर कार्यवाही की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पंचेश्वर विकास प्राधिकरण में प्रमुख सचिव, ऊर्जा नामित हैं। राज्य द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि उक्त प्राधिकरण का मुख्यालय उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित हो तथा इस परियोजना से उत्पादित होने वाली सम्पूर्ण विद्युत का 13 प्रतिशत निःशुल्क तथा शेष बिजली का 12 प्रतिशत निर्धारित दरों पर राज्य को उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान किया जाय।

ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने पर विचार किया जा रहा हैं। गैस की सतत् उपलब्धता हेतु कम से कम 03 एम0एम0एस0सी0एम0डी0 गैस राज्य को उपलब्ध कराये जाने हेतु पैट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। मेरी सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि विद्युत उत्पादन एवं उद्योगों की ऊर्जा आपूर्ति के लिए राज्य में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकें। गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के सहयोग से 500–500 मे0वा0 की दो परियोजनाओं का विकास करने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

राज्य की विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 46 एम0वी0ए0 के 8 नग 33/11 के0वी0 विद्युत उपस्थान, 33 के0वी0 की 93.55 कि0मी0 वितरण लाइन एवं 11 के0वी0 की 1162 कि0मी0 एवं 2258 कि0मी0 की एल0टी0 लाइन का निर्माण किया जा चुका है तथा 99 एम0वी0ए0 क्षमता के 2181 नग, 11/0.4 के0वी0 विद्युत वितरण परिवर्तन स्थापित किये गये हैं।

महाकुम्भ मेला 2010 हेतु हरिद्वार क्षेत्र की सुदृढ़ विद्युत व्यवस्था हेतु 3 नग 33/11 के0वी0 उपसंस्थान का निर्माण किया गया है तथा समस्त स्थायी एवं अस्थायी कार्य लगभग पूर्ण किये गये हैं। हरिद्वार नगर में विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु नवीन प्रौद्योगिकी के 9 नग विद्युत उपसंस्थान एवं 2 नग विद्युत परिवर्तन निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु स्थापित किये गये हैं।

प्रथम चरण आर–ए0पी0डी0आर0पी0 परियोजना के अन्तर्गत राज्य के चिन्हित 10,000 से अधिक जनसंख्या के 31 शहरों की विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, सूचना प्रौद्योगिक पहल एवं विद्युत वितरण प्रणाली ऑटामेशन सम्बन्धी सुधार कार्य हेतु 125.8 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं एवं आन्तरिक स्रोत से देहरादून मुख्यालय में 37.6 करोड़ रूपये की लागत का डाटा सेन्टर स्थापित होगा।

इस वित्तीय वर्ष में कुल वाणिज्यिक हानियों को 28 प्रतिशत तथा आगे इसे 15 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 442 निजी नलकूप कृषि एवं सिंचाई हेतु ऊर्जीकृत किये गये हैं तथा 1,635 क्षतिग्रस्त विद्युत पोल बदले गये एवं 25,842 बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क विद्युत संयोजन निर्गत किये गये। 10 अविद्युतीकृत, 11 विद्युतबाधित ग्रामों एवं 181 तोकों/मजरों का विद्युतीकरण तथा 608 विद्युतीकृत ग्रामों का सघन विद्युतीकरण किया गया।

राज्य के 5,500 उच्च श्रेणी विद्युत उपभोक्ताओं को एकीकृत स्वचालित मीटर रीडिंग सिस्टम द्वारा विद्युत बिलिंग की सुविधा हेतु कार्यवाही की जा रही है। मीटर रीडिंग एवं बिलिंग के सुधार हेतु एम0आर0आई0 आधारित 5,021 विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं हेतु केन्द्रीय बिलिंग तथा सूचना प्रौद्योगिक की वेब एम0आर0आई0 कार्यान्वित की गई है। देहरादून के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के विद्युत बिल भुगतान सुविधा हेतु 8 ए0टी0पी0 मशीनें संचालित की गई हैं।

राज्य में एकीकृत पारेषण तंत्र के विकास हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्त पोषण से दो स्कीम 400 के0वी0 लोहारीनाग–पाला कोटेश्वर लाइन तथा 400/200 के0वी0 श्रीनगर सबस्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में ऋण अनुबन्ध हस्ताक्षरित हो चुके हैं तथा निविदा आवंटित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 220 के0वी0 के 2 नं0, 680 एम0वी0ए0 क्षमता, 132 के0वी0 के 05 नं0 230 एम0वी0ए0 क्षमता 220 के0वी0ए0 की 122 कि0मी0 एवं 132 के0वी0 की 221 कि0मी0 लाईनों का निर्माण प्रस्तावित है। देहरादून में एक अत्याधुनिक स्वतंत्र स्टेट लोड डिस्पैच सेन्टर व ऋषिकेश एवं काशीपुर में एक–एक सब लोड डिस्पैच सेन्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है जो कि ग्रिड को सुरक्षित एवं सुचारू रूप से चलाने में अत्यन्त सहायक सिद्ध होंगे।

इस वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत उरेडा द्वारा 1,585 कि0वा0 क्षमता की 18 परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा जिला पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट विकासखण्ड में 25 कि0वा0 जल विद्युत योजना का निर्माण अन्तिम चरण

में है। सौर ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत 8,203 सोलर लालटेन संयंत्रों का वितरण, 2,805 सोलर घरेलू बत्ती संयंत्रों, 766 सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों 180 सामुदायिक सोलर कुकर तथा 25,300 ली0 सोलर वाटर हीटिंग संयंत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

(15) औद्योगिक विकास को बढावा देने हेतु मेरी सरकार द्वारा विशेष औद्योगिक पैकेज को सन् 2020 तक बढ़वाने हेतु भारत सरकार से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है और आशा की जा रही है कि इस दिशा में सकारात्मक कार्यवाही होगी। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप राज्य के सफल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान तेजी से बढ़ा है। औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में मेरी सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। एकल खिड़की सम्पर्क एवं सूचना व्यवस्था को मजबूत किया गया है।

मेरी सरकार द्वारा उद्यमियों को नेट के माध्यम से उद्योग स्थापना में उद्यमियों को लाभान्वित करने, समय की बचत करने और विभागीय कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए ई.एम.पार्ट–1 फाईल करने की व्यवस्था कर दी गई है तथा भविष्य में अन्य सुविधायें भी नेट से जोड़े जाने के प्रस्ताव हैं।

उत्तराखण्ड में मधुर औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित करने हेतु औद्योगिक विवादों के निस्तारण में द्विपक्षीय वार्ता की संस्कृति विकसित करना, उत्पादन क्षेत्र के साथ जनहित सेवा प्रदाय संस्थानों में कार्य संस्कृति और कौशल विकसित करना, न्यूनतम श्रम मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु मेरी सरकार दृढ़ संकल्पित है।

वित्तीय वर्ष 2009–10 में खादी एवं ग्रामोद्योग की गतिविधियों को स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग के आधार पर रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजना' का शुभारम्भ किया गया है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 15 कलस्टर विकसित किये जायेंगे।

(16) राज्य में परिवहन एवं नागरिक उड्डयन सेवाओं का और अधिक विस्तार किये जाने के लिये सरकार प्रयासरत् है ताकि यहां आने वाले देश–विदेश के पर्यटकों एवं राज्यवासियों को कोई असुविधा न हो। राज्य की परिवहन सेवा, राजस्व आय का भी प्रमुख स्रोत है इस उद्देश्य से भी इस सेवा को और अधिक चुस्त एंव सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ में परिवहन विभाग के कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण होने को है। सम्भागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी एवं उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंहनगर, कोटद्वार तथा हरिद्वार का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। चालक प्रशिक्षण संस्थान, झाझरा में स्थापित किया जा रहा है। परिवहन आयुक्त कार्यालय भी नवीन भवन में स्थापित कर दिया गया है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय टिहरी, उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, टनकपुर एवं ऋषिकेश के कार्यालय भवनों का निर्माण प्रस्तावित है।

हल्द्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

ऋषिकेश में वाहनों को टेस्टिंग लेन की स्थापना हेतु भूमि हस्तान्तरित हो गई है, जिस पर अग्रत्तर कार्यवाही विचाराधीन है। देहरादून में टेस्टिंग लेन की स्थापना, निर्माणाधीन चालक प्रशिक्षण संस्थान में किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

राज्य को दुर्घटना रहित बनाये जाने हेतु पर्वतीय मार्गो पर संचालित यात्री बसों के मानकों में संशोधन हेतु पुनः परीक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, डी0जी0बी0आर0 तथा आपदा प्रबन्धन विभाग के सदस्यों को सम्मिलित करने हुए सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

नगर परिवहन सेवा संचालित किये जाने की योजना के अन्तर्गत देहरादून के लिये 60, हरिद्वार के लिये 60 एवं नैनीताल के लिये 25 अत्याधुनिक बसों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

इस वित्तीय वर्ष में 125 नई बसें राज्य परिवहन निगम के बस बेड़े में शामिल किये जाने की योजना है। हरबर्टपुर में बस स्टेशन के लिये भूमि चयन की कार्यवाही गतिशील है।

(17) मेरी सरकार द्वारा राज्य में सम्पर्क मार्गो के उचित आच्छादन हेतु वार्षिक योजना के अन्तर्गत विभागीय बजट में निरन्तर वृद्धि की जा रही है।

मेरी सरकार ने "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" तथा एशियन विकास बैंक वित्त पोषित उत्तराखण्ड राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्यो के समयबद्ध सम्पादन हेतु चौदह पूर्णकालिक एवं सात समर्पित खण्डों की व्यवस्था कर दी है।

केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत भी अलकनन्दा नदी के ऊपर हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर को श्रीनगर शहर से जोड़ने हेतु 190 मीटर स्पान स्टील गार्डर सेतु, जिसकी लागत लगभग बारह करोड़ रूपये स्वीकृत है, का कार्य प्रगति पर है।

केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत ऋषिकेश–लक्ष्मण झूला, गरूड़ चट्टी के पास गंगा नदी पर दो लेन सेतु का निर्माण 200 मी0 स्पान, जिसकी लागत 10.32 करोड़ रूपये स्वीकृत है, का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत मार्ग/सेतु अनुरक्षण मद में 141 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क संयोजिता में वृद्धि एवं राईडिंग क्वालिटी में सुधार हेतु विभिन्न वित्तीय स्रोतों से यथोचित प्रयास किये जा रहे हैं। सड़क संयोजिता में सुधार हेतु जहां विभागीय बजट के साथ–साथ पी0एम0जी0एस0वाई0 आदि केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत नवीन कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पूर्व निर्मित मार्गों के सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण हेतु राज्य के अपने बजट के साथ–साथ एशियन विकास बैंक से भी वित्तीय सहायता ली जा रही है।

मार्ग आधुनिकीकरण के लक्ष्य की पूर्ति में वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रतिकूल भौगौलिक परिस्थितियों के कारण न्यून कार्यावधि, दक्ष एवं समर्थ ठेकेदारों की कमी, दूरस्थ क्षेत्रों में खुले बाजार में निर्माण संयत्रों की अनुपलब्धता के साथ–साथ विभाग के अन्तर्गत तकनीकी मानव संसाधनों की कमी आदि प्रमुख बाधाएं हैं, जिसके निराकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथोचित उपाय किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के अंतर्गत जिला देहरादून के मोहकमपुर नामक स्थान में रेलवे ऊपर गामी सेतु का निर्माण कार्य भारत सरकार से स्वीकृत करा लिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के अंतर्गत जिला देहरादून के लच्छीवाला में रेलवे ऊपर गामी सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 74 के तहत काशीपुर–सितारगंज एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 87 के अन्तर्गत रामपुर से हल्द्वानी तक के मार्ग को दो लेन करने का निर्णय लिया गया है। राजकीय कार्यो के सम्पादन में गति लाने एवं रोजगार सृजन के दृष्टिगत संविदा पर सहायक अभियन्ताओं एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति की गई है। राज्य में सड़कों के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास हेतु रोड मास्टर प्लान का कार्य प्रगति पर है। भविष्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा देहरादून में रिंगरोड का निर्माण, सहस्त्रधारा टनल का निर्माण, डाट की देवी में टनल का निर्माण एवं फिजिविलिटी का आंकलन किया जाना प्रस्तावित है।

(18) मेरी सरकार द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों की हवाई यात्राओं तथा राज्य में विमानन तथा पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये विमानन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे का विस्तारीकरण कर रनवे से नियमित उड़ानें प्रारम्भ की जा चुकी हैं। नाइट लैण्डिंग उपकरण परीक्षण पर हैं।

पन्तनगर हवाई अड्डे को कारगो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है।

नैनी–सैनी हवाई पट्टी, पिथौरागढ़ से विमानों के परिचालन हेतु उच्चीकरण का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

प्रत्येक जिले में एक–एक हैलीपैड निर्माण योजना के अन्तर्गत अब तक कई स्थलों पर योजनायें स्वीकृत की गई हैं तथा कई स्थलों पर योजनायें प्रस्तावित हैं। देहरादून के एक साथ तीन हैलीकॉप्टर के पार्किंग की सुविधायुक्त हैलीपैड का निर्माण कार्य पूर्ण होने के साथ की इसके संचालन हेतु निजी कम्पनियों को किराये पर दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

जौलीग्रान्ट में विमानों के अनुरक्षण हेतु हैंगर का निर्माण किया गया है। जौलीग्राण्ट हवाई अड्डे में वी0आई0पी0 लाउन्ज का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पवन हंस हैलीकॉप्टर्स के सौजन्य से गौचर में भी एक हैंगर का निर्माण पूर्ण किया गया है।

एअर कनेक्टिविटी के लिये विशेषज्ञ संस्थाओं से प्रस्ताव तैयार कराये जा रहे हैं। विमानन सेवायें प्रारम्भ किये जाने हेतु निजी उद्यमियों को इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहित किया जायेगा।

जौलीग्रान्ट एवं पन्तनगर हवाई अड्डे के लिये अतिरिक्त नियमित विमान सेवाएं संचालित करने हेतु महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार को अनुरोध–पत्र प्रेषित किया गया है।

पर्यटकों की सुविधा हेतु पवन हंस हैलीकॉप्टर्स तथा मैसर्स प्रभातम् एवियेशन कम्पनी के माध्यम से केदारनाथ यात्रा हेतु यात्रा काल में अगस्त्यमुनि एवं फॉटा से नियमित हैलीकॉप्टर सेवायें संचालित की जाती हैं।

हरिद्वार में एक एवियेशन अकेडमी तथा कालान्तर में उसे एक हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने हेतु भूमि का चिन्हांकन कर हवाई सर्वेक्षण किया जा चुका है। योजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(19) मेरी सरकार ने राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के क्षेत्र में प्रचार, प्रसार एवं जागरूकता लाने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, जैव प्रौद्योगिकी कार्यक्रम एवं उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र, वर्तमान समय की आवाश्यकता को देखते हुए गठित किये हैं।

(20) मेरी सरकार द्वारा स्वान, नेशनल ई–गवर्नेन्स परियोजनायें, कॉमन सर्विस सेंटर, स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना, ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना, मिशन मोड परियोजनायें, राज्य ई–शासन मिशन टीम का गठन, नेशलन ई–गवर्नेन्स योजना और स्टेट पोर्टल व स्टेट सर्विसेज डिलिवरी गेट वे को सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है।

(21) मेरी सरकार राज्य में वित्तीय अनुशासन के साथ–साथ जनभावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों को मूर्त रूप देने एवं आम व्यक्ति तक सरकार की नीतियों का लाभ पहुँचाने के लिये दृढ़ संकल्प है।

लेखा एवं हकदारी निदेशालय द्वारा राज्य स्तर पर पेंशन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक कदम उठाने के साथ–साथ पेंशनरों का सम्पूर्ण विवरण (डाटा) उपलब्ध कराने हेतु एकीकृत पेंशन प्रबन्धन व्यवस्था लागू की गयी है जिसके द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों को अपनी पेंशन, जी0पी0ओ0, सी0पी0ओ0 की सम्पूर्ण जानकारी आई0वी0आर0एस0 सिस्टम पर दूरभाष के माध्यम से हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्राप्त हो सकती है। नई अंशदायी पेंशन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में माह अक्टूबर, 2009 तक कुल 27,445 कार्मिकों के खाते खोले जा चुके हैं तथा अंशदायी पेंशन योजना के केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेन्सी के रूप में नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिट लिमिटेड, मुम्बई से तथा फण्ड मैनेजमेन्ट हेतु न्यू पेंशन सिस्टम ट्रस्ट नई दिल्ली से अनुबन्ध किया जा चुका है।

राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत पचास हजार लाख रूपये शुद्ध बचत का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके सापेक्ष माह अक्टूबर, 2009 तक 35,073 लाख रूपये जमा हुए हैं। इस प्रकार विभाग के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष शुद्ध जमा का प्रतिशत संतोषजनक रहा है।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये वाणिज्य कर वसूली का लक्ष्य 2,220 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष माह जनवरी, 2010 तक 1,773 करोड़ रूपये की प्राप्ति हुई है। कर दाताओं का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय व्यापार मित्र समिति का गठन कर दिया गया है जिसमें व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं अधिवक्ताओं के नामांकन का कार्य भी कर दिया गया है।

महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं द्वारा सम्पति क्रय करने पर स्टाम्प शुल्क में छूट की सीमा को दस लाख रूपये से बढ़ाकर बीस लाख रूपये कर दिया गया है। डायरेक्ट–टू–होम (डी0टी0एच0) प्रसारण सेवा को मनोरंजन कर की परिधि में लाया गया है। इससे राज्य के कर राजस्व में वृद्धि होगी।

मेरी सरकार द्वारा राज्य में बैंकों को ऋण–जमा अनुपात को बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास किये जायेंगे जिससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

(22) मेरी सरकार द्वारा, वार्षिक योजना 2009–10 का परिव्यय रू0 5574.70 करोड़ अनुमोदित कराया गया जोकि विगत वर्ष की तुलना में 800 करोड़ अधिक है। महाकुम्भ 2010 के लिए स्वीकृति अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सहित कुल रू0 604 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी स्वीकृत कराई गयी है। मेरी सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र निजी संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है और महाकुम्भ 2010 के लिए निर्माण कार्यों की सहवर्ती गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है।

सार्वजनिक निजी सहभागिता द्वारा राज्य की आर्थिक विकास की दर एवं जनसुविधाओं को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पूंजी निवेश एवं निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता/दक्षता तथा प्रतिस्पर्धी परिवेश का लाभ प्राप्त करने हेतु अब तक पिछहत्तर पी0पी0पी0 परियोजनाओं की चिन्हीकरण किया गया है जिनमें से छः परियोजनायें क्रियान्वित हो रही है। चौदह परियोजनायें निविदा स्तर पर हैं एवं शेष पर कार्यवाही गतिमान है।

मेरी सरकार बीस सूत्रीय कार्यक्रम का जिला, मण्डल तथा राज्य स्तरीय मासिक अनुश्रवण, जिला योजना की संरचना एवं जिला, मण्डल तथा राज्य स्तरीय मासिक अनुश्रवण, भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय प्रतीक तथा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, ग्रामवार आधारभूत आंकड़ों का संग्रह, विकासखण्ड एवं जनपदवार संकलन करा रही है।

मेरी सरकार के प्रयास से बीस सूत्री कार्यक्रम पुनः संरचित होने की उपरान्त अखित भारतीय स्तर पर राज्य का स्थान वर्ष 2008–09 में छठा रहा है। वर्ष 2009–10 में माह नवम्बर तक अखिल भारतीय स्तर पर राज्य का स्थान तीसरा रहा।

(23) मेरी सरकार द्वारा अपने सीमित संसाधनों के बावजूद उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आधुनिक पर्यटन प्रदेश के रूप में स्थापित करने के सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। इस क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश में पर्यटन विकास की दृष्टि से 52 पर्यटक स्थलों का विकास/सौन्दर्यीकरण की योजनायें पूर्ण करवाई गयीं एवं केन्द्र वित्त पोषित योजनान्तर्गत रू0 2508.82 लाख की वित्तीय स्वीकृतियां भारत सरकार से निर्गत करवायी गयी। कुम्भ मेला–2010 हरिद्वार को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय वित्त पोषित योजना– "हरिद्वार–ऋषिकेश–मुनिकीरेती–स्वर्गाश्रम मेगा पर्यटन सर्किट के विकास" के अन्तर्गत प्रथम चरण में हरिद्वार में धोबीघाट पार्किंग का विस्तारीकरण, हरिद्वार में पन्तद्वीप घाट का विकास, स्वर्गाश्रम में रामझूला से परमार्थ निकेतन तक गंगा नदी के बायें तट पर घाटों का नवीनीकरण एवं निर्माण एवं स्वर्गाश्रम में वेद निकेतन घाट का निर्माण अल्पावधि में ही पूर्ण कराकर जनउपयोग में लाये गये।

12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत गंगोत्री धाम में स्नानघाट का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण, औली जनपद–चमोली में स्कियर एवं पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिताओं की मूलभूत सुविधाओं का विकास, आईस स्लोप लैंडिग एरिया, ग्रूमर एवं आइस स्कूटर पार्किंग, टिकट घर, स्टोर तथा वी0आई0पी0 सिटिंग एरिया का निर्माण, औली में स्कियर एवं पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु अन्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं स्पोट्र्स कॉलेज रायपुर, देहरादून में निर्माणाधीन आईस स्केटिंग रिंग हॉल परिसर को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में स्थापित करने के कार्य अन्तिम चरण में हैं। सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना में माह अप्रैल, 2009 से जनवरी,

2010 तक 130 टन अतिरिक्त गारबेज इकट्ठा किया गया तथा इस योजना के अन्तर्गत बद्रीनाथ, जानकीचट्टी, सोनप्रयाग एवं जोशीमठ में हाईड्रौलिक कॉम्पैक्टर स्थापित करवाये गये।

मेरी सरकार द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 में जनवरी, 2010 तक 254 लाभार्थियों को लगभग रू0 188.00 लाख की राज्य सहायता वितरित की गयी। कुम्भ निधि से कुम्भ मेला–2010 हरिद्वार में पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनसुविधाओं का नवीनीकरण, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार–प्रसार तथा प्रदर्शनी आदि स्थापित करने के कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं।

(24) मेरी सरकार ने शिक्षा के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। विभिन्न कार्यक्रमों जैसे–मुस्कान, पहल के माध्यम से समाज के वंचित वर्ग एवं विद्यालय के बाहर रह गये बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास किया गया है। वहीं लर्निंग गारण्टी कार्यक्रम (एल0जी0पी0) कुँजापुरी एक्टिव ग्रुप, अधिगम स्तर मूल्यांकन (लर्निंग लेवल एसेसमेंट) एवं दक्षता आधारित अधिगम (कम्पीटेन्सी बेस लर्निंग) के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता बढाने एवं अधिगम के मूलभूत तत्वों को सुनिश्चित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

बच्चों की विद्यालय पूर्व शिक्षा एवं स्वास्थ्य रक्षा के लिए बाल विकास विभाग से समन्वय करते हुए ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की स्थापना की गयी है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य द्वारा कई कदम उठाये गये हैं। प्रत्येक जनपद में विद्यालय के बाहर रह रही बालिकाओं एवं मेधावी बच्चों की आवासीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवार की बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने के लिए एकमुश्त छात्रवृत्ति दी जा रही है।

शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, तकनीकी आधारित शिक्षण अधिगम प्रणाली तथा पाठ्य विषयवस्तु को रूचिकर बनाये जाने के लिए विद्यालयों में कम्प्यूटर ऐडेड लर्निंग कार्यक्रम लागू किया गया है। आई.सी.टी. कार्यक्रम लागू करने के साथ ही तकनीकी अनुसमर्थन के लिए देहरादून में राज्य शैक्षिक सूचना प्रौद्योगिकी अकादमी की स्थापना की जा रही है।

विद्यालयों में अध्यापकों की शैक्षिक कार्यों में अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में होने वाले निर्माण कार्यों से अध्यापकों को विरत किया गया है। अध्ययन अध्यापन में समयबद्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु अध्यापक दैनंदिनी की अनिवार्य व्यवस्था की गयी है। छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर का मूल्यांकन मासिक इकाई परीक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। इसके माध्यम से कमजोर बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण दिया जा रहा हैं। साथ ही अध्यापकों द्वारा अपने विद्यालयों में किये जा रहे अभिनव

प्रयोगों को चिन्हित कर निदेशालय के पुस्तकालय में संकलित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विद्यालयों हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार की योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा उक्त परीक्षा परिणामों के आधार पर ग्रीन, यलो, ब्ल्यू एवं रेड कार्ड दे कर, जहां शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वही उत्कृष्ट एवं नवाचारी कार्य करने वाले शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है।

जहां विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु नियमित एवं विशेष निरीक्षण की व्यवस्था की गयी है। वहीं देहरादून के चार मुख्य कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु बायोमेट्रिक अटेन्डेन्स सिस्टम लगाये गये हैं।

प्राथमिक शिक्षा में प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता हेतु जहां नियमित बी.टी.सी. प्रशिक्षण आरम्भ किया गया है, वहीं विद्यालयों में तैनात अर्ह शिक्षा मित्रों को द्विवर्षीय बी0टी0सी0 प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

मेरी सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटी आरम्भ की गयी है। इसके अन्तर्गत असेवित क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना तथा संरचनागत विकास कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त विभागीय क्रियाकलापों की सतत् समीक्षा के लिए सभी जिला एवं विकास खण्ड कार्यालयों को ब्राड बैण्ड से जोड़ा जा रहा है जिससे विभिन्न स्तरों पर विभागीय क्रियाकलापों की निगरानी की जा सके।

राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के मेधावी छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में एक आवासीय इण्टरमीडिएट विद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

मेरी सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त की है। इस क्रम में दून विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को मजबूत किया जाना है ताकि राज्य के छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सुलभ हो सके।

मेरी सरकार ने छात्रों के पठन–पाठन के शोध के नए सोपान सुनिश्चित करने के लिए ऋषिकेश में स्थापित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को राज्य का प्रथम स्वायत्त महाविद्यालय घोषित किया है।

मेरी सरकार के सद्प्रयासों से भारत सरकार द्वारा राज्य की 34 राजकीय पॉलिटैक्निक संस्थाओं तथा 01 वित्त पोषित संस्था को सामुदायिक विकास योजना से आच्छादित करने हेतु चयनित किया गया है।

प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की की अवस्थापना हेतु भूमि आवंटित करते हुए भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है।

मेरी सरकार वर्तमान वैश्विक परिवेश एवं औद्योगिकी आवश्यकताओं के दृष्टिगत नये रोजगारपरक पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर रही है तथा पुराने पाठ्यक्रमों में आवश्यकतानुसार एक्रीडियेशन किया जा रहा है।

मेरी सरकार के प्रयासों से भारत सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में आई.आई.एम. तथा एन.आई.टी. की स्थापना का निर्णय लिया गया है। उक्त दोनों संस्थाओं की स्थापना हेतु भारत सरकार की टीम द्वारा भूमि के निरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन कर गढ़वाल क्षेत्र के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को भी तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के तकनीकी संस्थानों में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षकों हेतु पी.एच.डी. एवं एम.टेक. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं।

(25) मेरी सरकार द्वारा भाषा विभाग का गठन पृथक रूप से किया गया। अस्तित्व में आने पर भाषा विभाग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भाषा एवं बोली के विकास हेतु उत्तराखण्ड भाषा संस्थान एवं राजभाषा हिन्दी के विकास एवं संवर्द्धन हेतु उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी को गठन का निर्णय लिया जा चुका है। उक्त दोनों संस्थाओं के पंजीकरण की कार्यवाही गतिमान है।

उत्तराखण्ड राज्य में अपना राजभाषा अधिनियम बनाये जाने के उद्देश्य से हिन्दी को उत्तराखण्ड की राजभाषा तथा देववाणी संस्कृत का सम्मान करते हुए संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाये जाने हेतु उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया जा चुका है।

राज्य में संस्कृत भाषा को रोजगार से जोड़ते हुए इसे जन–जन की भाषा बनाये जाने तथा इस भाषा का ज्ञान रखने वाले युवाओं का पलायन रोकने के लिए कार्ययोजना बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने संस्कृत भाषा को लोक भाषा बनाने हेतु जिला चमोली के किमोठा तथा जिला बागेश्वर के भैन्तोला गांव को संस्कृत ग्राम घोषित किया है।

(26) मेरी सरकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रख–रखाव एवं उन्नयन हेतु संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नृत्य लोक कला आदि के विकास तथा इनका प्रचार–प्रसार, प्राचीन पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों के संरक्षण, सर्वेक्षण तथा इनका अनुरक्षण, प्राचीन अभिलेखों एवं दुर्लभ पाण्डुलिपियों को संग्रहीत कर उनका संरक्षण तथा उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। भारत की समृद्ध प्राचीन धार्मिक व सांस्कृतिक परम्परा का ध्वजवाहक गौरवपूर्ण अनुष्ठान 'महाकुम्भ, 2010' का आयोजन पूर्ण गरिमामयी आध्यात्मिक एवं

सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुरूप किया जा रहा है। 140 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में फैले कुम्भ मेला क्षेत्र में इस वर्ष 04 से 05 करोड़ श्रद्धालुओं के पधारने की सम्भावना है। रू0 571 करोड़ की लागत से महाकुम्भ के पर्व को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए सड़कों एवं सेतुओं, विद्युत कार्यों, पेयजल, गंगा प्रदूषण नियंत्रण, स्नान घाटों एवं स्वास्थ्य की बड़े पैमाने पर अभूतपूर्व व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार महाकुम्भ का आयोजन निर्विघ्न एवं निष्कंटक सम्पन्न हो, इस हेतु विस्तृत एवं अचूक सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। महाकुम्भ, 2010 हेतु माननीय मुख्यमंत्री के अथक प्रयास से पहली बार भारत सरकार से रू0 400 करोड़ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने में सफलता मिली है। मेरी सरकार ने खेल के प्रोत्साहन के दृष्टिगत विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को यथोचित धनराशि से पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है।

मेरी सरकार अगले 10 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत में भारत सरकार के सहयोग से खेल मैदानों का निर्माण कराने हेतु प्रयासरत है तथा बद्रीनाथ में यूथ हॉस्टल का संचालन प्रारम्भ किया गया है।

(27) मेरी सरकार द्वारा राज्य में गुणवत्तापरक चिकित्सा तथा निदान सुविधायें उपलब्ध कराने में मानव संसाधन की कमी को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए निराकरण हेतु असेवित व दूरस्थ क्षेत्रों में सार्वजनिक व निजी सहभागिता के अन्तर्गत छब्बीस मोबाईल चिकित्सालयों को क्रियाशील किया गया है। मेरी सरकार द्वारा वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल के रूप में प्रथम राजकीय मेडिकल कॉलेज में न्यूनतम वार्षिक फीस पर चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराई गई है। इसी क्रम में कुमायूं मण्डल में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है तथा देहरादून में भी मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है।

मेरी सरकार द्वारा राज्य में पैरामेडिकल संस्थानों के लिए नियम–विनियम प्रख्यापित करने तथा पैरामेडिकल स्नातकों/परास्नातकों के रजिस्ट्रेशन तथा उनके प्रैक्टिस आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु पैरामेडिकल काउन्सिल का गठन किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने अथक प्रयास कर उत्तर प्रदेश सरकार से समन्वय कर चिकित्सा परास्नातक की सोलह सीटें प्राप्त की हैं। उत्तराखण्ड के स्थानीय निवासियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधायें तथा राज्य के गरीब मेधावी छात्रों को अत्यधिक न्यून शुल्क पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु मेरी सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के राजकीयकरण की कार्यवाही की जा रही है, जो कि अन्तिम चरण में है।

मेरी सरकार द्वारा आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के अन्तर्गत कार्यरत मैदानी/दुर्गम एवं अतिदुर्गम क्षेत्रों में संविदा चिकित्सकों के मानदेय क्रमशः रूपये 15,000 से बढ़ाकर

रूपये 20000, 24000 एवं 28000 प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, हरिद्वार में नर्सेज पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर मेरिट के आधार पर प्रवेश कर प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया। केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुर्वेदिक चिकित्सकों एवं फार्मासिस्टों की नियुक्ति एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराये जाने हेतु रूपये 1314 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी। श्रीनगर गढ़वाल में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना प्रस्तावित है।

(28) जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत पेयजल सुविधा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिस पर मेरी सरकार प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है। पेयजल क्षेत्र की सेवाओं में सुधार हेतु मेरी सरकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जनसहभागिता के आधार पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ–साथ स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र विकास किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की बस्तियों को पाइप पेयजल योजना से लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में दो हजार हैण्ड पम्पों को अधिष्ठापित किया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्र की एक हजार योजनाओं का पुनर्गठन/जीर्णोद्धार एवं नगरीय क्षेत्र में आठ शहरों में आंशिक पेयजल तथा सात शहरों में आंशिक जलोत्सारण व्यवस्था का प्राविधान भी रखा गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि का प्राविधान किया गया है। विश्व बैंक सहायतित स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धी योजनाओं के लिए भी पर्याप्त धनराशि प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत लगभग डेढ़ लाख व्यक्तिगत शौचालय लगाने का प्राविधान भी रखा गया है।

भारत सरकार द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के चयनित तीन नगरों क्रमशः देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में पेयजल सुविधाओं में सुधार हेतु देहरादून नैनीताल शहरों की जलोत्सारण व्यवस्था हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसी कार्यक्रम के उपमिशन के अन्तर्गत मसूरी की सीवरेज व्यवस्था हेतु भी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पतित पावनी गंगा एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए गंगा कार्य योजना–प्रथम चरण में निर्मित परिसम्पत्तियों के रखरखाव एवं केन्द्र पोषित गंगा कार्य योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत द्वितीय चरण में सम्मिलित उत्तराखण्ड के दस नगरों के लिये पर्याप्त धनराशि प्राविधानित है।

इसके अतिरिक्त एशियन डेवलपमेन्ट बैंक द्वारा राज्य के इकतीस नगरों को पेयजल/जलोत्सारण व्यवस्थाओं की अवस्थापना/ विकास हेतु चयनित किया गया है। प्रथम चरण में क्रमशः देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में उपरोक्त व्यवस्थाओं के सुधार हेत ए0डी0बी0 एवं भारत सरकार के मध्य अनुबन्ध निष्पादित किया जा चुका है।

(29) मेरी सरकार यू0आई0जी0 योजनान्तर्गत जलापूर्ति सीवरेज, योजना, पार्किंग तथा सड़क को चौड़ा करने की योजना पर कार्य कर रही है।

बेसिक सर्विस टू अर्बन पुअर, आई0एच0एस0डी0पी0, यू0आई0डी0एस0 एस0एम0टी0, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार, कम लागत सफाई योजना, ए0डी0बी0 सहायतित योजना, दीन दयाल उपाध्याय शहरी समेकित विकास योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्मल शहर पुरस्कार योजना, दीन दयाल उपाध्याय वायविलिटी/पार्किंग योजना तथा पथ प्रकाश योजना और सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट योजना को मेरी सरकार सफलतापूर्वक संचालित कर रही है।

(30) राज्य की विशिष्ट परिस्थितिओं के दृष्टिगत् आवास से सम्बन्धित कार्यों एवं गतिविधियों के प्रबन्धन के लिये मेरी सरकार ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, विनियमित क्षेत्र, विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस पहल की है।

नजूल भूमि के निस्तारण एवं प्रबन्धन हेतु पूर्व में निर्गत नजूल नीति के क्रियान्वयन में आ रही व्यावसायिक कठिनाईयों के दृष्टिगत नजूल नीति की समीक्षा के पश्चात् संशोधित नजूल नीति 2009 लागू की गयी है।

टिहरी एवं उत्तरकाशी जिलों में बहुउद्देशीय टिहरी बांध के फलस्वरूप विकसित टिहरी झील के निकट नयी टिहरी व चम्बा नगरीय क्षेत्र के साथ 153 ग्रामों एवं अधिक डूब क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए नियोजित एवं नियंत्रित विकास की दृष्टि से टिहरी झील परिक्षेत्र प्राधिकरण का गठन किया गया है।

देहरादून में उच्च स्तर के सिटी का निर्माण पी0पी0पी0 मोड से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

दून हाट योजना घंटाघर देहरादून के पास 660 गाड़ियों के लिये तीन मंजिला पार्किंग कॉम्पलेक्स का निर्माण पी0पी0पी0 मोड के अन्तर्गत कराये जाने का निर्णय लिया गया एवं बहुमंजिला पार्किंग हेतु उपविधि तैयार की जा रही है। उत्तराखण्ड नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन अधिनियम बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण में इन्द्रलोक आवासीय योजना एवं ट्रांसपोर्ट नगर योजना में अवस्थापना से सम्बन्धित विकास कार्य किये जा रहे हैं।

नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत नैनीताल झील व जिले की 04 अन्य झीलों के सुधारीकरण, संरक्षण एवं पुनर्जीवीकरण से सम्बन्धित योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी है। इसके अन्तर्गत "लेक वार्डन प्रोजेक्ट" नाम की एक योजना तैयार की गयी है। जिसमें नैनी झील में एरियेशन व साईफनिंग का कार्य किया जायेगा।

जिला चम्पावत मुख्यालय में बढ़ती आवासीय गतिविधियों एवं अनियंत्रित निर्माण पर अंकुश लगाते हुए शहर के नियोजित विकास के दृष्टिगत चम्पावत नगर पंचायत क्षेत्र एवं चम्पावत तहसील के अन्तर्गत आने वाले 16 ग्रामों को विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत घोषित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

(31) मेरी सरकार द्वारा पत्रकारों की सुविधाओं के दृष्टिगत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं श्रमजीवी पत्रकारों को पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता तथा उन्हें राजकीय चिकित्सालयों में सरकारी कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है तथा राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। पत्रकार संगठनों को समय–समय पर आयोजित की जाने वाली गोष्ठियों के लिए विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

विकास कार्यों के निर्धारण, संचालन व क्रियान्वयन में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है।

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन में मीडिया की भूमिका उल्लेखनीय रही थी। छोटे समाचार–पत्रों का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा था। इसको दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा मीडिया हितों को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही लघु एवं मझोले समाचार–पत्र, पत्रिकाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विशिष्ट अवसरों पर समाचार–पत्र, पत्रिकाओं को राज्य सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों से सम्बन्धित विज्ञापन दिये जा रहे हैं।

गीत एवं नाट्य योजना में अनुसूचित जाति तथा जनजाति उप योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा सरकार की नीतियों का प्रचार–प्रसार सुदूर ग्रामीण अंचलों तक विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के माध्यम से कराया जा रहा है।

विभागीय कार्यक्रमों एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जनमानस को त्वरित व सर्वसुलभ कराये जाने के उद्देश्य से विभागीय वेबसाइट का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, ताकि अधिक से अधिक सूचनाएं ऑन लाईन हो सकें।

(32) मेरी सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक न्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से बचाने हेतु शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक समानता दिलाकर राष्ट्र की मुख्य धारा में इन वर्गों के अमूल्य योगदान का सदुपयोग करने के लिए प्रयत्नशील है।

मेरी सरकार इन वर्गों के छात्रों के शैक्षिक उन्नयन हेतु छात्रवृत्तियाँ तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ठोस कार्यवाही कर रही है। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा विकलांग जनों के उत्थान के लिए भी मेरी सरकार वचनबद्ध है।

मेरी सरकार द्वारा कल्याणकारी पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत 2,09,437 वृद्धों, 84,188 विधवाओं एवं 41,034 विकलांगजनों को कुल रूपये 11735.35 लाख की पेंशन धनराशि वितरित की गयी है। विकलांगजनों की विशेष स्थिति को देखते हुए एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने का प्रयास करते हुए सरकार द्वारा 2009–10 में विकलांगजनों की पेंशन रू0 400 प्रतिमाह से बढ़ाकर रू0 600 प्रतिमाह कर दी गयी है (जो 01/4/2010 से प्रभावी होगी) तथा कुष्ठ रोग से विकलांगता प्राप्त विकलांगजनों हेतु पेंशन की धनराशि दिनांक 01 जनवरी, 2010 से रू0 1,000 प्रतिमाह कर दी गयी है।

मेरी सरकार द्वारा अटल आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 1,739 आवासहीन परिवारों को लाभान्वित करते हुए रूपये 299.52 लाख की धनराशि वितरित की गयी है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों व अन्य पिछड़े वर्गों को व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा स्वतः रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के तर्ज पर विकलांगजनों के लिए भी जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गयी है। मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं को एक ही स्थान पर रखे जाने व उन्हें सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु राजकीय नारी निकेतन केदारपुरम, देहरादून के परिसर में एक आवासीय गृह का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य एवं केन्द्रीय सेवाओं, मेडिकल इंजीनियरिंग आदि प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को, निजी प्रतिष्ठित संस्थाओं को एक्पैनल करते हुए उनके माध्यम से परीक्षा पूर्व कोचिंग प्रदान किये जाने हेतु योजना प्रारम्भ की गई है। निराश्रित मानसिक विकलांगता से ग्रस्त बालकों/व्यक्तियों के लिए दीर्घकालिक आवासीय गृह "घरौंदा" की स्थापना हरिद्वार (रोशनाबाद) में कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके प्रारम्भिक चरण में 50 ऐसे निराश्रित विकलांग बच्चों की देखरेख की स्थायी व्यवस्था की जायेगी। कूड़ा बीनकर जीवन यापन करने वाले स्ट्रीट चिल्ड्रन तथा इसी श्रेणी के ऐसे छोटे बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ने व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक स्कूल–कम–हॉस्टल अधोईवाला (देहरादून) में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

मेरी सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के बालक–बालिकाओं हेतु आफ्टर केयर होम (पश्चात्वर्ती देखरेख गृह) की स्थापना प्रस्तावित है। दीन दयाल विकलांग पुनर्वास योजना (केन्द्र पोषित) के अंतर्गत देहरादून में विकलांग छात्रावास का निर्माण प्रस्तावित है तथा इस हेतु राज्यांश में रू0 10.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है। इससे सभी जिलों के विकलांग छात्रों को बारहवीं कक्षा उपरान्त व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु रहने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु संचालित तीनों आई0टी0आई0 में कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु शॉर्ट टर्म कोर्स, जिसमें मोटर मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन तथा बेसिक ऑटोमोबाइल फोरव्हीलर, थ्रीव्हीलर, टूव्हीलर सर्विसिंग आदि का कोर्स प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

मेरी सरकार अटल आवास योजना को सफलतापूर्वक संचालित कर रही है। इस योजना से अब तक लगभग 925 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है।

(33) मेरी सरकार बच्चों (जन्म से 06 वर्ष) के कुपोषण स्तर को कम कर, स्कूल पूर्व शिक्षा से बच्चों को जोड़कर तथा महिलाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध करवाते हुए उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु वर्तमान में 105 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत 14327 आँगनबाड़ी केन्द्र तथा 4321 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र का संचालन कर रही है। बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों हेतु विभाग द्वारा विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है। राज्य सरकार सहायतित नन्दा देवी कन्या योजना हेतु वर्ष 2009—10 में रु0 16 करोड़ का प्राविधान किया गया है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में दिनांक 01 जनवरी, 2009 के बाद बी0पी0एल0 परिवार में जन्म होने वाली दो कन्या शिशुओं को राज्य सरकार द्वारा रु0 पाँच—पाँच हजार की धनराशि एफ0डी0 के तौर पर प्रदान की जाएगी। राज्य की किशोरियों को उद्देश्यपरक एवं गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्तराखण्ड प्रशासकीय अकादमी, नैनीताल के साथ विभाग द्वारा एम0ओ0यू0 कर मोनाल नाम से अभिनव प्रयोग किया गया है। जनपद चमोली एवं उत्तरकाशी में स्थित चारधाम (श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री तथा यमुनोत्री) में स्थानीय रूप से तैयार किया गया प्रसाद (आदि भोग) का उत्पादन एवं विपणन सम्बन्धित जनपदों के विकास खण्डों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यमों से हैस्को के तकनीकी सहयोग से अभिनव प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव है। महिलाओं का कार्यबोझ कम करते हुए उनके आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के उद्देश्य हेतु राज्य पोषित उत्तराखण्ड बाल एवं महिला विकास योजना संचालित है। महिलाओं के कार्यबोझ को कम करने हेतु उरेडा (उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण) से समन्वय कर सोलर कुकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण में जिला पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विकास खण्ड में उरेडा के सहयोग से इस योजना को प्रारम्भ किया जायेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आई0सी0डी0एस0, श्रम तथा वन विभागों के समन्वय से खनन निर्माण कार्य एवं ईंट भट्टा क्षेत्रों के मजदूरों के बच्चों एवं महिलाओं के पोषण—स्वास्थ्य सेवायें एवं स्कूल पूर्व शिक्षा देने के उद्देश्य से देवभूमि मुस्कान परियोजना के अन्तर्गत 41 केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। कुपोषण मापन से सम्बन्धित विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनिसेफ द्वारा जारी ''ग्रोथ स्टेण्डर्ड'' सम्बन्ध में आई0सी0डी0एस0 के कार्मियों का प्रशिक्षण पूर्ण कराया गया है। स्कूल पूर्व स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत आई0सी0डी0एस0 में बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड विकसित किया जा रहा है। विद्यालय में बच्चे के पंजीकरण हेतु उक्त कार्ड को अनिवार्य बनाये जाने का प्रयास किया जायेगा। उत्तराखण्ड राज्य में महिलाओं पर उत्पीड़न को रोकने के लिए ''उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग'' तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु ''प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड'' का गठन किया गया है।

(34) मेरी सरकार वीरता पदक पुरस्कार, द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन, आवासीय सहायता, ब्लाक प्रतिनिधियों को मानदेय, टोल फ्री टेलीफोन की व्यवस्था, पूर्व सैनिकों हेतु प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता अभियान, कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा सैनिकों के आश्रितों को सेवा/पुलिस बल में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण करा रही है। सैनिक विश्राम गृह तथा कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(35) मेरी सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए ए0पी0एल0 योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए बी0पी0एल0 योजना, अन्त्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना और मध्याह्न भोजन योजना का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। मेरी सरकार चीनी, मिट्टी तेल, गेहूँ खरीद, धान खरीद और चावल खरीद में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। मेरी सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में उपभोक्ता फोरमों को और कार्यशील बनाये जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित मानकों के अनुरूप राज्य में मैट्रिक बांट–मापों तथा तोलने एवं मापने के यंत्रों का व्यापारिक क्षेत्र में व्यापक प्रवर्तन एवं सत्यापन तथा मुद्रांकन तथा सही माप–तौल सुनिश्चित करने हेतु मेरी सरकार बचनबद्ध है।

(36) मेरी सरकार बेरोजगार युवक/युवतियों को रोजगार के अवसर सुलभ कराए जाने हेतु प्रयासरत है इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। इसी क्रम में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी सुसज्जित कर सेवायोजन हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

केन्द्रीय श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन कराना, श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित श्रम कानूनों के अन्तर्गत वादों का निस्तारण कर उनको क्षतिपूर्ति ग्रेच्युटी भुगतान आदि कराना, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा पारित अभिनिर्णयों का प्रतिपादन कराना, महिला संघों की सशक्तीकरण हेतु उन्हें समान कार्य के लिए पुरूषों के समान मजदूरी का भुगतान तथा मातृहित लाभ सुनिश्चित कराने के साथ–साथ कार्यस्थलों पर उनके यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निदान, औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराना, श्रमिकों को न्यूनतम वेतन लाभ सुनिश्चित कराना, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में संलग्न श्रमिकों को उन्हें देय हित लाभ सुनिश्चित कराना, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का सर्वेक्षण कराना एवं उनके कल्याणार्थ योजना तैयार करना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों का चिन्हीकरण कर उनके कल्याणार्थ योजना तैयार करना एवं तत्सबन्धी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, श्रमिक संघों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण के सम्बन्ध में ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करना तथा श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत कारखाना एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करना मेरी सरकार की प्राथमिकता है।

(37) मेरी सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों को नवीनीकृत करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत समस्त राजस्व अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, सम्पत्ति रजिस्ट्रेशन, नामांतरण तथा अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। इस कार्यक्रम को लागू किये जाने हेतु भारत सरकार से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये जाने व कार्यक्रम को शीघ्र प्रारम्भ किये जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

राज्य गठन के उपरान्त विभिन्न तहसीलों/उपतहसीलों, राजस्व ग्रामों आदि प्रशासनिक इकाईयों का गठन किया गया है। इसके बावजूद समय–समय पर कतिपय राजस्व ग्रामों या क्षेत्रों को एक प्रशासनिक इकाई से दूसरी प्रशासनिक इकाई में सम्मिलित करने का अनुरोध किया जाता है, इसके लिए मुख्य राजस्व आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। समिति द्वारा प्रशासनिक इकाईयों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार–प्रसार कर जिलेवार जनप्रतिनिधियों/जनसामान्य से सुझाव प्राप्त करते हुए ऐसे प्रकरणों पर विचार कर संस्तुति अन्तिम निर्णय हेतु शासन को उपलब्ध करायी जानी है।

राज्य में वन भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया के कारण लगभग तीन सौ पचास योजनायें लम्बित हैं। इस योजनाओं के लिए वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में तीव्रता लाये जाने के लिए क्षति पूर्ति वृक्षारोपण के लिए दस हजार हैक्टेयर भूमि चिन्हित की जा चुकी है। इस भूमि पर वैज्ञानिक रीति से वृक्षारोपण व उसका प्रबन्धन किये जाने हेतु इसे वन विभाग के नियंत्रण में दिये जाने का भी निर्णय लिया जा चुका है।

केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य सरकार के नियंत्रण वाली भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है जिससे राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी को एक बड़े कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किये जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। स्वैच्छिक चकबन्दी के सम्बन्ध में अब तक विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्ताव एवं इस सम्बन्ध में कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा लिए गये निर्णय के क्रय में स्वैच्छिक चकबन्दी के प्रस्ताव प्रत्येक ग्राम सभा के स्तर पर तैयार किये जाने, समस्त ग्रामवासियों से इस कार्य हेतु सहभागिता प्राप्त करने एवं ग्रामवार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के प्रधान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

(38) आपदा प्रबन्धन इस हिमालयी राज्य में एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मध्य प्रचुरता से होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का प्रबन्धन मेरी सरकार के लिए अत्यन्त चुनौतीपूर्ण कार्य है। राज्य के जनमानस की संवेदनशीलता से जुड़ते हुए मेरी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं।

भूकम्पजनित आपदा के प्रबन्धन एवं उससे बचाव की ओर भी मेरी सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। भूकम्प जोखिम प्रबन्धन में अभियन्ताओं की क्षमता विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार के अभियन्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में राज–मिस्त्रियों, अभियन्ताओं, वास्तुविदों एवं मानचित्रकारों को भी भूकम्परोधी निर्माण तकनीक की जानकारी निरन्तर दी जा रही है।

आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा मानक परिचालन कार्य विधियाँ तैयार कराई गई हैं। राज्य आपदा प्रबन्धन कार्य योजना भी तैयार कराई जा रही है जिससे आपदाओं के समय बेहतर प्रबन्धन सुनिश्चित किया जा सके तथा सभी विभागों को अपने उत्तरदायित्व की पूर्ण जानकारी हो।

राज्य में आपदाओं की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करने के उद्देश्य से स्थापित राज्य स्तरीय आपदा परिचालन केन्द्र एवं जिला स्तरीय आपातकालीन केन्द्रों की व्यवस्था को सतत् रूप से और मजबूत किया जा रहा है एवं उनके माध्यम से आपदा प्रबन्धन के कार्य पर पैनी दृष्टि रखी जा रही है।

राज्य में विभिन्न आपदाओं के समय त्वरित कार्य किये जाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय कार्ययोजना का विकास किया जा रहा है।

(39) मेरी सरकार द्वारा विभिन्न प्रयोजनों से देहरादून भ्रमण पर आने वाले अधिकारियों के अल्पकालिक प्रवास की व्यवस्था के लिए 46 कमरे के ट्रान्जिट हॉस्टल का निर्माण किया गया है। देहरादून भ्रमण पर आने वाले विशिष्ट अतिथियों की सुविधापूर्ण प्रवास की व्यवस्था के लिए बीजापुर राज्य अतिथि गृह का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

लखनऊ में उत्तराखण्ड भवन का निर्माण कार्य अन्तिम चरण पर है। भवन के उपयोग के लिए विकल्पों के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा रहा है। नवीन केदारपुरम् कॉलोनी, देहरादून के कर्मचारियों हेतु श्रेणी–3 के 48 आवासों एवं मिलन केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

मसूरी में अतिथि गृह के निर्माणार्थ भूमि प्रतिकर के भुगतान हेतु शासन द्वारा 616.15 लाख रुपये अवमुक्त किये गये हैं तथा भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

हरिद्वार में अतिथि गृह के विस्तार हेतु डिजाइन तैयार कर लिया गया है तथा शीघ्र ही योजना की स्वीकृति प्रदान करना प्रस्तावित है, इससे हरिद्वार में पधारने वाले राज्य अतिथियों को ठहराने में सुविधा हो सकेगी।

(40) मेरी सरकार ने जनता को सुलभ न्याय प्रदान किये जाने हेतु राज्य की विभिन्न तहसीलों में नये न्यायालय स्थापित किये जिन्होंने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

न्याय विभाग में आवासीय सुविधा प्रदान करने के क्रम में वर्ष 2009 में मा0 उच्च न्यायालय के मा0 न्यायाधीशों हेतु 02 आवासों के निर्माण, जिला हरिद्वार में न्यायिक अधिकारियों हेतु 04 आवासीय भवनों के निर्माण एवं देहरादून जजशिप में अनुसेवकों हेतु 08 आवासों के निर्माण के नये प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।

राज्य में फौजदारी वादों के त्वरित निस्तारण हेतु स्थापित फास्ट ट्रैक न्यायालयों में उनकी स्थापना से लेकर अब तक उन्हें निर्दिष्ट 81,389 वादों में से 73,450 वाद निस्तारित किये जा चुके हैं।

(41) राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याण व उन्हें सेवायोजित किये जाने हेतु मेरी सरकार द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। ऐसे राज्य आन्दोलनकारी, जो सेवायोजन के इच्छुक नहीं हैं, उन्हें तथा शारीरिक रूप से अक्षम राज्य आन्दोलनकारियों को पेंशन एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रत्येक जिले में एक कारागार की स्थापना का प्रयास तथा कारागार प्रशासन में सुधार करते हुए बन्दियों की अनौपचारिक शिक्षा तथा स्वरोजगारपरक तकनीकी प्रशिक्षण व्यवस्था हेतु कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का सहयोग भी लिया जा रहा है। विचाराधीन एवं दोषसिद्ध बन्दियों के हितार्थ मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए बन्दी सुधार कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास, मेरी सरकार द्वारा किया जा रहा है। सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्रदत्त एवं महंगाई की धनराशि में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए उनकी समस्याओं के समुचित समाधान हेतु तत्परता से प्रयास किये जा रहे हैं।

(42) मेरी सरकार लोक सेवकों के सेवा सम्बन्धी मामलों के शीघ्र निस्तारण एवं राज्याधीन सेवाओं में उत्तराखण्ड के ही अधिवासी पूर्व सैनिकों एवं विकलांग जनों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिये जाने हेतु प्रयासरत है, जिस हेतु सम्बन्धित अधिनियम में संशोधन भी किया गया है। पदोन्नति के मामलों में भी पारदर्शिता अपनाई गई है।

(43) मेरी सरकार के प्रयासों से राज्य के कई निगमों को उत्तर प्रदेश राज्य से उनका अंश प्राप्त हो चुका है। कुछ संवर्ग के कार्मिकों का अन्तिम आवंटन शेष है, जिसके निस्तारण हेतु कार्यवाही गतिमान है।]

(44) विकास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता, जनसामान्य की समस्याओं के श्रवण एवं निस्तारण एवं कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को जनपद आवंटित किये गये हैं। सम्बन्धित प्रमुख सचिव एवं सचिव 02 माह में कम से कम 01 बार आवंटित जनपद का भ्रमण करेंगे एवं विकास कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण कर जनसमस्याओं का निस्तारण एवं कार्यों का गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(45) भ्रष्टाचार को रोकने हेतु लोकायुक्त संगठन राज्य में सफलतापूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है। इसी प्रकार सतर्कता अधिष्ठान भी अपने कार्यों को निरन्तर गतिशील बनाए हुए है।

मैंने अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों तथा प्रस्तावित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण सदन के पटल पर रखा है। मुझे आशा है कि आप सभी सदस्यगण लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करते हुए इस गरिमामयी सदन में राज्य को उन्नति के पथ पर अग्रसर करने हेतु अपने बहुमूल्य विचार एवं सुझाव देंगे तथा आपसी सहयोग और सामंजस्य से राज्य की समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में सफल होंगे। मैं माननीय सदस्यगण का आभार व्यक्त करते हुए वित्तीय और अन्य विधायी कार्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए शुभकामनाएं भी देती हूँ।"

जय हिन्द !

(महामहिम श्री राज्यपाल [***] का सम्पूर्ण अभिभाषण यथावत पढ़ा हुआ माना गया।)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 07 मार्च, 2010 की बैठक में दिनांक 08 मार्च से 17 मार्च, 2010 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

<u>मार्च, 2010</u>

08 सोमवार	माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ। (03:00 बजे अपराह्न)
09 मंगलवार	1–औपचारिक कार्य।
	2–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण तथा चर्चा।
10 बुद्धवार	धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा
11 गुरूवार	धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा
12 शुक्रवार	धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा एवं धन्यवाद प्रस्ताव का पारण।
13 एवं 14	शनिवार एवं रविवार का अवकाश
15 सोमवार	बैठक नहीं होगी।

नोटः–[***] यह शब्द श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

16 मंगलवार बैठक नहीं होगी।

17 बुद्धवार 1–विधायी कार्य।

2–वर्ष 2010–11 के बजट का प्रस्तुतीकरण (अपराह्न 3:00 बजे।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिये।

(सदन की कार्यवाही 3 बजकर 14 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून : महेश चन्द्र,

दिनांकः 08 मार्च, 2010 प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 विधान सभा/415–05–02–2013–200 (कम्प्यूटर/रीजियो)